संख्या-01/2021/259जेड/6-सा-3-2021-50जी/2017टी.सी.-2

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक **पेंशन अनुभाग-3** **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषयः श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, मेलनर्स/कम्पाउंडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ के चिकित्सा मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2596/छः स्व0से0/2021-01(अधि0)/19, दिनांक 15.12.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, मेलनर्स/कम्पाउंडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ के उपचार पर हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2251-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें-03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन के मद संख्या-01-वेतन में उपलब्ध बचत में से धनराशि रू0 2.14 लाख (रूपये दो लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1- जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कर लिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2021 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि की मॉग जिस प्रयोजन हेतु की गयी है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए समयबद् रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2251-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें-03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन के मद संख्या-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक-2251-सचिवालय-सामाजिक-सेवाएं-आयोजनेत्तर-200-अन्य योजनाएं-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन के मद संख्या-01-वेतन मद की सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आर ई-689/दस-ई-12-2021, दिनांक 27.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्या-01/2021/259(1)जेड/6-सा-3-2021,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर(आडिट/प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (परीक्षा लेखा), सत्यनिष्ठा भवन, -15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- प्रभारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।

8- आहरण एवं वितरण अधिकारी।

9- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, मेलनर्स/कम्पाउडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ।

11- बजट सहायक।

12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।